<u>न्यायालय - सेशन न्यायाधीश, झालावाड़, जिला झालावाड (राज.)</u>

पीठासीन न्यायाधीश – **आलोक सुरोलिया,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

<u>आप. विविध जमानत आवेदन सं 158/2026</u>

<u>सीआईएस नंबर 150/2026</u>

विनोद पुत्र हेमा, उम्र 25 वर्ष, निवासी बीरियाखेडी, पुलिस थाना सदर झालावाड, जिला झालावाड़ (राज.) **-प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान राज्य। **-अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **25/2026** पुलिस थाना **झालरापाटन**
अपराध अंतर्गत **धारा 331(4), 305(ए) बी.एन.एस.**

<u>उपस्थित</u>

1.श्री प्रीतम राय कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2.श्री नरेन्द्र तोमर, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> **दिनांक 07.03.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का **प्रथम** प्रार्थना-पत्र अंतर्गत **धारा 483** BNSS में प्रस्तुत हुआ है, जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई जाकर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.01.2026 को परिवादी रोहित ने पुलिस थाना झालरापाटन में उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी राठौर आयल मिल्स के नाम से गोमती नगर में तेल की फेक्ट्री है, जिसमे गोदम में अलसी के करीब 400 कट्टे, एक कट्टा करीब 50 किलो का निकालने की मशीनरी का सामान रखे हुए थे। दिनांक 21.01.2026 सुबह 10 बजे करीब वह फेक्ट्री में गया शाम को 8 बजे ताला लगाकर उसके घर पर आ गया था। दिनांक 22.01.2026 से 10 बजे फैक्ट्री में गया तो उसने देखा कि 40-50 कट्टे अलसी के, एक मोटर की केबल करीबन 100 फीट, एक थ्री फैस की मोटर नहीं मिली। उसने देखा तो पता चला कि कोई व्यक्ति सामान को चुराकर ले गया है। इत्यादि। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया

गया। प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। अभी प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

3. बहस जमानत प्रार्थना-पत्र सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा प्रार्थना-पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है, उसको झूंठा फंसाया गया है। उससे कोई अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व बाद में आरोप-पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उसके, बाद जमानत भागने-फरार होने अथवा गवाहान को डराने धमकाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना करने को तत्पर है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत का प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

6. उभय पक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन करते हुए केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 331(4), 305(ए) बी.एन.एस.** का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त **दिनांक 21.02.2026** से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त से कोई अनुसंधान शेष नहीं है। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किए जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त 03 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना प्रकट होता है जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया हो, ऐसा अनुसंधान अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। प्रकरण के अनुसंधान व उसके उपरांत आरोप-पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में प्रकरण के विचारण में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त निष्कर्ष, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष नहीं है और केवल जमानत आवेदन को तय करने हेतु लिया गया निष्कर्ष मात्र है।

7. अतः उक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस प्रकरण में **स्वीकार** कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से **विद्वान विचारण न्यायालय** के संतोषप्रद **30,000/-रूपये** का स्वयं का **बंधपत्र** व **15,000-15,000/-रूपये** की **दो जमानतें** प्रस्तुत कर तस्दीक करा दी जावें तो प्रार्थी/अभियुक्त को **इस प्रकरण** में जमानत पर आजाद कर दिया जावे।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

8. आदेश आज दिनांक **07.03.2026** को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

आप.वि.जमानत आवेदन संख्या **158/2026**

विनोद बनाम राज.राज्य

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

ABDUL MAJID

Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by ABDUL MAJID
Date: 2026.03.09 14:40:19 +0530

नोट: यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।